छत्तीसगढ़ शासन
खनिज साधन विभाग
मंत्रालय
<u>महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर–492 002</u>

क्रमांक एफ 8– /2020/12/नि. स/133 नया रायपुर, दिनांक **30 मार्च, 2020**

प्रति,

समस्त कलेक्टर
छत्तीसगढ़।

विषयः– नोवेल कोरोना वायरस के संक्रमण के रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु किये गये लॉकडाउन के दौरान विभिन्न खनिरियायतधारकों के द्वारा अपने कार्यक्षेत्र में कार्यरत कुशल/अकुशल श्रमिकों/कर्मचारियों को वेतन, अवकाश एवं अन्य अवश्यक सुविधाए प्रदान करने विषयक।

संदर्भः 1. इस्पात मंत्रालय, भारत सरकार का अर्द्धशासकीय पत्र क्रमांक PS/Secy(S) Misc./ 2020 दिनांक 24.03.2020।
2. खान मंत्रालय, भारत सरकार का अर्द्धशासकीय पत्र क्रमांक CV–16/30/2020 –M.VI दिनांक 26.03.2020।
3. गृह मंत्रालय, भारत सरकार का आदेश क्रमांक 40–3/2020–DM–1(A) दिनांक 29.03. 2020।
4. छत्तीसगढ़ शासन श्रम विभाग का पत्र क्रमांक 2021/श्र. आ./2020 नवा रायपुर, अटल नगर का पत्र दिनांक 21/03/2020।

—:0:—

विषयान्तर्गत नोवेल कोरोना वायरस के संक्रमण के रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु संदर्भित पत्रों में गृह विभाग, भारत सरकार के आदेश के अनुक्रम में छत्तीसगढ़ शासन श्रम विभाग के द्वारा जारी ज्ञापन के परिपेक्ष्य में प्रदेश में संचालित समस्त प्रकार के खनि रियायत धारकों द्वारा निम्नाानुसार निर्देशो का पालन कराया जाना सुनिश्चित करेंगेः–

1. नोवेल कोरोना वायरस के संक्रमण के रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु लॉकडाउन के पुर्व 15 फरवरी की स्थिति में कार्यरत कुशल/अकुशल श्रमिकों/कर्मचारियों को माह मार्च 2020 के वेतन, अवकाश एवं अन्य अवाश्यक सुविधाए प्रदान करें ताकि प्रदेश से कर्मचारी/कर्मकार/श्रमिक/मजदुरों का पलायन न हो।
2. नोवेल कोरोना वायरस के संक्रमण एवं प्रभावी नियंत्रण परिदृश्य में भारत सरकार खान एवं इस्पात मंत्रालय के द्वारा संदभित अर्द्धशासकीय पत्रों के द्वारा खनिज कोयला, आयरन ओर एवं इस्पात के निर्माण में प्रयुक्त अन्य खनिजों की उपलब्धता, उत्पादन एवं प्रेषण को अनिवार्य सेवा के रुप में रखा गया है। उक्त के परिपेक्ष्य में वर्तमान परिस्थितियों में खनिज कोयला, आयरन ओर एवं इस्पात के निर्माण में प्रयुक्त अन्य खनिजों के उत्पादन एवं खनन संक्रियाओं का संचालन बनाये रखने हेतु समुचित कार्यवाही किया जावे।
3. राज्य शासन यह भी निर्देशित करता है कि नोवेल कोरोना वायरस के संक्रमण के रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु सोशल डिस्टेंस एवं केन्द्र एवं राज्य शासन द्वारा जारी गाईडलाईन के अनुसार न्युनतम श्रमिकों से साथ खनि रियायत क्षेत्रों में खनन संबंधी गतिविधियों का संचालन बनाये रख सकते है।
4. खनि रियायत क्षेत्रों में कार्यरत यदि कोई कर्मचारी/कर्मकार/श्रमिक आदि नोबेल कोरोना वायरस के संक्रमण से पीड़ित हो तो उसके स्वास्थ लाभ हेतु संपुर्ण सहयोग के साथ साथ आवश्यकतानुसार सवैतनिक अवकाश प्रदान कराया जावे।
5. नोवेल कोरोना वायरस के संक्रमण के दृष्टिगत किसी खनिरियायत क्षेत्र में कार्यरत किसी भी कर्मचारी/कर्मकार/श्रमिक आदि की सेवाए समाप्त/छटनी/सर्विस ब्रेक

न किया जावे, और न ही किसी कर्मचारी/कर्मकार/श्रमिक आदि के वेतन अथवा देय स्वत्वों में कोई कटौती की जावें।

6. प्रदेश में नोवेल कोरोना वायरस के संक्रमण एवं प्रभावी नियंत्रण हेतु उपरोक्तानुसार निर्देशो का कडाई से पालन कराया जाना सुनिश्चित किया जावें ताकि खनन संक्रियाओं में संलग्न कर्मचारी/कर्मकार/श्रमिक का किसी प्रकार से पलायन की स्थिति निर्मित न हो।

(अन्बलगन पी.)
सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
खनिज साधन विभाग

क्रमांक एफ 8– /2020/12 /नि. स/134 नया रायपुर, दिनांक **30 मार्च, 2020**

प्रतिलिपिः–

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन।
2. मुख्य सचिव के उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन।
3. सचिव, भारत सरकार खान/इस्पात/कोयला मंत्रालय नई दिल्ली।
4. अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग छत्तीसगढ़ शासन।
5. प्रमुख सचिव, उद्योग विभाग छत्तीसगढ़ शासन।
6. पुलिस महानिदेशक छत्तीसगढ़ शासन।
7. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग।
8. सचिव सह श्रमायुक्त सह मुक्ष्य्य कारखाना निरीक्षक छत्तीसगढ़ शासन श्रम विभाग।
9. सचिव /आयुक्त जनसंपर्क विभाग छत्तीसगढ़ शासन।
10. समस्त संभागायुक्त छत्तीसगढ़।
11. समस्त पुलिस महानिरीक्षक छत्तीसगढ़।
12. समस्त पुलिस अधीक्षक छत्तीसगढ़।
13. संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म छत्तीसगढ़ इन्द्रावती भवन, नया रायपुर, अटल नगर।
14. उप–संचालक/खनि अधिकारी जिला .... ।
    ....की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ प्रेषित।
15. समस्त खनिरियायतधारक जिला...छत्तीसगढ़ की ओर पालनार्थ।

(अन्बलगन पी.)
सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
खनिज साधन विभाग